राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in
CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/2016–17/ 825 दिनांकः 12/8/2016

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– जॉब आधारित पैकर्स सेवा कार्य की ई–निविदा सूचना प्रकाशित करने के क्रम में।

महोदय

पत्र के साथ संलग्न ई–निविदा सूचना छः प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। आप से अनुरोध है कि निम्न समाचार पत्रों/ट्रेड जनरल में ई–निविदा सूचना शीघ्र प्रकाशित करने का श्रम करें:–

1. राज्य स्तर का एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र जिसकी प्रसारण संख्या 50,000 प्रतियाँ प्रतिदिन या अधिक हो।
2. वृहत् परिचालन वाला राष्ट्रीय स्तर का एक दैनिक समाचार पत्र।
3. इण्डियन ट्रेड जनरल पत्रिका, कोलकाता।

संलग्नः ई–निविदा सूचना की प्रति एवं सी.डी. में।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/2016–17/ दिनांकः

प्रतिलिपि :–

1. ए.जी.एम. (आई.टी.), आरएमएससी को प्रेषित कर लेख है कि ***sppp.rajasthan.gov.in*** पोर्टल, निगम की वेबसाइट *www.rmsc.nic.in* एवं *https://**eproc.rajasthan**.gov.in* पर Upload करवाना सुनिश्चित कराएँ।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह (DDW) राजस्थान (समस्त)।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

11/8/16
कार्यकारी निदेशक (गु.नि.)

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in
CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/2016–17/ 824 दिनांक: 12/8/2016

जॉब आधारित पैकर्स सेवा कार्य हेतु ई–निविदा सूचना वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के 18 माह हेतु

निगम द्वारा दिनांक 01.10.2016 से 31.03.2018 तक अर्थात् 18 माह हेतु जॉब आधारित पैकर्स सेवा कार्य की दर संविदा हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी सेवा प्रदात्ता संस्थाओं/फर्मो से ई–निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति (bid security) (₹ लाखों में)	ई–निविदा शुल्क (₹)	प्रि–बिड मीटिंग की तिथि व समय	ई–निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	ई–निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	ई–निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1.	जॉब आधारित पैकर्स सेवा कार्य	190.00	3.80	2000.00	19.08.2016 3.30 बजे	19.09.2016 12.00 बजे तक	19.09.2016 03.00 PM तक	19.09.2016 05.00 PM

ई–निविदा प्रपत्र वेबसाईट *"http://eproc.rajasthan.gov.in"* से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाईट *"www.dipronline.org"*, ***sppp.rajasthan.gov.in*** एवं *www.rmsc.nic.in* पर देखा जा सकता है। ई–निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबसाईट *"http://eproc.rajasthan.gov.in"* पर ही प्रस्तुत की जाएगी। **ई–निविदा प्रपत्र शुल्क राशि ₹ 2000.00, RISL प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 व बोली प्रतिभूति** (bid security) **के अलग–अलग डी.डी./बी.सी. दिनांक 19.09.2016 समय दोपहर 2.00 बजे तक निगम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है अथवा** तीन पृथक–पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान **(प्रपत्र–'य')** द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से **निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या–2246002100024414 IFS Code PUNB0224600** में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई–निविदा के समय **19.09.2016** अपराह्नं 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाईट www.rmsc.nic.in पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निविदा प्रपत्र शुल्क, **RISL प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति** (bid security) जमा करवाते हुए ई–निविदा के समय **19.09.2016** अपराह्नं 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।

कार्यकारी निदेशक (गु.नि.)

ई–निविदा

जॉब आधारित पैकर्स सेवा कार्य हेतु ई–निविदा सूचना वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के 18 माह हेतु

निविदा क्रमांक :	एफ.9()/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/2016–17/ दिनांक:
प्रि–बिड दिनांक, समय व स्थान :	19.08.2016 समय अपराह्न 3.30 बजे स्थान कमरा संख्या–205 गाँधी–ब्लॉक, आरएमएससी भवन, स्वास्थ्य भवन परिसर, जयपुर (राज.)
ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय :	**19.09.2016** समय अपराह्न 3.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र शुल्क:	₹ 2000.00 प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर के पक्ष में देय
RISL प्रोसेसिंग शुल्क:	₹ 1000.00 (प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल, जयपुर के पक्ष में देय)

ई–निविदा प्रपत्र शुल्क, आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति (bid security) के डी.डी./बैंकर चैक उपर्युक्त नाम से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, गाँधी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर के कक्ष संख्या 105 में दिनांक **19.09.2016** समय दोपहर 2.00 बजे तक भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होगें **अथवा** तीन पृथक–पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान **(प्रपत्र–'य')** द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या– 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई–निविदा के समय **19.09.2016** अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाईट www.rmsc.nic.in पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निविदा प्रपत्र शुल्क, **RISL प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति** (bid security) जमा करवाते हुए ई–निविदा के समय **19.09.2016** अपराह्नं 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/2016–17/ दिनांकः

कार्य की अनुमानित लागत –₹ 190.00 लाख
बोली प्रतिभूति (bid security)–₹ 3.80 लाख

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड
ऑनलाईन ई–निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि–19.09.2016 समय 3.00 बजे तक
ई–निविदा प्रपत्र शुल्क–₹ 2000.00

जॉब आधारित पैकर्स सेवा कार्य की दर संविदा हेतु ई–निविदा प्रपत्र

1. जॉब आधारित पैकर्स सेवा कार्य के लिए ई–निविदा :–
2. ई–निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, ...
3. डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व ई–मेल सहित एवं पेन नम्बर ....
 ....
 ....
4. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर ....
 ....
 ....
 ....
5. किसको संबोधित किया गया – प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर।
6. ई–निविदा सूचना संदर्भ एफ 9( )/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/2016–17/
 दिनांक
7. ई–निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि ₹ 2000.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या.................... दिनांक............................प्रबंध निदेशक, RMSC के पक्ष मे देय, आरएमएससी कार्यालय में भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत कर दिया है **अथवा** पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान **(प्रपत्र–'य')** द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या– 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई–निविदा के समय **19.09.2016** अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की

वेबसाईट www.rmsc.nic.in पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करवाते हुए ई–निविदा के समय **19.09.2016** अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है। आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या ....दिनांक ....प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल, जयपुर के पक्ष में देय भौतिक रूप (Physically) से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है **अथवा** पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान **(प्रपत्र–'य')** द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या–2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई–निविदा के समय **19.09.2016** अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाईट www.rmsc.nic.in पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए **RISL प्रोसेसिंग फीस** जमा करवाते हुए ई–निविदा के समय **19.09.2016** अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।

8. हम प्रबन्ध निदेशक, **राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर** द्वारा जारी की गई ई–निविदा सूचना **संख्या** .... **दिनांक** .... में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई–निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
9. ई–निविदा . प्रपत्र के साथ संलग्न **प्रपत्र 'ब'** में जॉब आधारित पैकर्स सेवा कार्य संबंधी दरें सभी करों व आनुषंगिक प्रभारो सहित अंकित है। **सेवा कर की दरें पृथक् से दर्शाई जानी है।**
10. जॉब आधारित पैकर्स सेवा इकाई की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 धंटे की अवधि में कर दी जाएगी। निगम द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
11. जॉब आधारित पैकर्स सेवा कार्य हेतु **प्रपत्र 'ब'** में दी गई दरें वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के 18 माह (01.10.2016 से 31.03.2018) के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

12. ई–निविदा सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति (bid security) के रूप में बैंक ड्राफ्ट /बैंकर चैक संख्या .... दिनांक .... राशि .... भौतिक रूप (Physically) से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है **अथवा** पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान **(प्रपत्र–'य')** द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या–2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई–निविदा के समय **19.09.2016** अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाईट www.rmsc.nic.in पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए **बोली प्रतिभूति** (bid security) जमा करवाते हुए ई–निविदा के समय **19.09.2016** अपराह्नं 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।

13. ई–निविदा प्रपत्र के साथ सेवाकर पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा सेवा कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।

14. टर्न ओवर प्रमाण पत्र **(प्रपत्र'स')** संलग्न है।

15. पूर्व में समान प्रकृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र **(प्रपत्र'द')** संलग्न है।

16. ई–निविदा प्रपत्र के साथ कर्मचारी भविष्य निधी एवं कर्मचारी राज्य बीमा पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।

17. ई–निविदा की विधिमान्यता की कालावधि तकनिकी निविदा खोलने की दिनांक से अधिकतम 90 दिन होगी।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228061–62, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/2016–17/ दिनांकः

तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'

निगम मुख्यालय, जयपुर, विभिन्न जिलों में स्थित जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) ,एवं मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृहों (MCDWs) पर जॉब आधारित पैकर्स सेवा हेतु ई–निविदा

1. परिचय :– राजस्थान मेडिकल सविर्सेज कॉर्पोरेशन लि0 राजस्थान सरकार का उपक्रम है जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत राज्य सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है। निगम का उद्देश्य केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स इत्यादि का क्रय कर राजस्थान राज्य स्थित राजकीय चिकित्सा संस्थानो/अस्पतालों के माध्यम से मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराना है।

निगम द्वारा औषधियों के क्रय हेतु मुख्यालय जयपुर से औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स इत्यादि के लिए विनिर्माता फर्मो को सीधे क्रयादेश दिए जाते है एवं आपूर्तिकर्त्ता फर्मो द्वारा क्रयादेश की पालना में समस्त राजस्थान में स्थित **33 जिलो में** स्थित निगम के 34 जिला औषधि भंडार गृहों **(DDWs)** एवं 6 मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृहों **(MCDWs)** में संबंधित आपूर्तिकर्त्ता फर्मो द्वारा विनिर्माता/आयातक औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स की आपूर्ति की जाती है।

निगम के जिलो में स्थित DDW में जहाँ एक ओर आपूर्तिकर्त्ता फर्मो द्वारा औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स की आपूर्ति की जाती है एवं संबंधित DDW/MCDW द्वारा उस जिले में स्थित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों यथा जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सेटेलाइट अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी इत्यादि के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार DDW/ MCDW से औषधियाँ सर्जिकल्स/सूचर्स आदि प्राप्त किए जाते हैं।

निगम द्वारा निगम मुख्यालय एवं समस्त राज्य स्थित DDW/ MCDW कार्यालयों पर जॉब आधारित पैकर्स सेवा हेतु, सेवा प्रदाता फर्म/सोसाइटी जिन्हें इस कार्य का पूर्व में अनुभव है से निविदाएं आंमत्रित की जाती है। **उक्तानुसार जॉब आधारित पैकर्स सेवा ईकाई के लिए बेसिक हिन्दी एवं अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य है।** सामान्यतः प्रत्येक DDW/ MCDW हेतु 3–3 इकाइयाँ एवं मुख्यालय हेतु 32 इकाइयों हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जा रही है। पैकर्स सेवा (Units) की संख्या में प्रत्येक जिले पर औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के Flow के अनुसार वृद्धि/कमी की जा सकती है।

निगम मुख्यालय तथा जिला औषधि भंडार गृहों (DDWs) एवं मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृहों (MCDWs) पर पैकर्स सेवा इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं.सं.	जिला औषधि भण्डार गृह (DDW)/ MCDW	प्रत्येक DDW / MCDW पर पैकर्स सेवा इकाई की कुल संख्या
1	जयपुर I & II	6 + 6 = 12
2	अलवर	3
3	भरतपुर	3
4	दौसा	3
5	धौलपुर	3
6	झुंझुनू	3
7	सीकर	3
8	अजमेर एवं MCDW	3+3=6
9	भीलवाडा	3
10	नागौर	3
11	टोंक	3
12	बीकानेर एवं MCDW	3+3=6
13	चूरू	3
14	श्रीगंगानगर	3
15	हनुमानगढ़	3
16	जोधपुर एवं MCDW	3+3=6
17	बाडमेर	3
18	जैसलमेर	3
19	जालौर	3
20	पाली	3
21	सिरोही	3
22	कोटा	3+3=6
23	बांरा	3
24	बून्दी	3
25	झालावाड	3
26	करौली	3
27	सवाईमाधोपुर	3
28	उदयपुर एवं MCDW	4+3=7
29	बांसवाडा	3
30	चित्तोडगढ़	3
31	डूंगरपुर	3
32	प्रतापगढ	3
33	राजसमंद	3
34	निगम मुख्यालय, जयपुर	32
	योग	156

जॉब आधारित पैकर्स सेवा हेतु ई–निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। ऐसी फर्म/कम्पनी/सोसाईटी जिन्हें इस तरह की सेवाओं को उपलब्ध कराने का अनुभव हो, निविदा भर सकते है। ई–निविदा प्रपत्र वेबसाईट *"http://eproc.rajasthan.gov.in"* से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाईट *"www.dipronline.org"*, ***sppp**.rajasthan.gov.in* एवं *www.rmsc.nic.in* पर देखा जा सकता है। ई–निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबसाईट *"http://eproc.rajasthan.gov.in"* पर ही प्रस्तुत की जाएगी। **ई–निविदा प्रपत्र शुल्क राशि ₹ 2000.00, प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 व बोली प्रत्याभूति(bid security) के अलग–अलग डी.डी./बी.सी. दिनांक 19.09.2016 समय दोपहर 2.00 बजे तक निगम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है अथवा** तीन पृथक–पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान **(प्रपत्र–'श')** द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से **निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या–2246002100024414 IFS Code PUNB0224600** में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई–निविदा के समय **19.09.2016** अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाईट www.rmsc.nic.in पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निविदा प्रपत्र शुल्क, **RISL प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति** (bid security) जमा करवाते हुए ई–निविदा के समय **19.09.2016** अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।

2. आवेदन के लिए वांछित पात्रता

1. निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षो (2013–14, 2014–15 एवं 2015–16) का औसत टर्न ऑवर ₹ 70.00 लाख प्रतिवर्ष हो। इस हेतु वांछित प्रामाणिक दस्तावेज बैलेंश शीट, Profit and Loss A/c, Receipt & Payment/Income-expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करे।
2. सेवा प्रदाता फर्म का श्रम विभाग एवं राज्य/केन्द्र सरकार के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।
3. फर्म/कम्पनी द्वारा न्यूनतम एक सरकारी विभाग/उपक्रम में इस तरह का कार्यानुभव विगत 3 वर्षों में होना अनिवार्य है। संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का, के पूर्ण पते, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर सहित होना अनिवार्य है।
5. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
6. सेवा प्रदाता को सेवाकर हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है।
7. सेवा प्रदाता को कर्मचारी भविष्य निधी एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।

3. आवेदन की विधि तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जमा कराना

ई–निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि ₹ 2000.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या............ दिनांक............प्रबंध निदेशक, RMSC के पक्ष मे देय, आरएमएससी कार्यालय में भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत कर दिया है **अथवा** पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान **(प्रपत्र–'य')** द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या– 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई–निविदा के समय **19.09.2016** अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload

की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाईट www.rmsc.nic.in पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए ई–निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करवाते हुए ई–निविदा के समय **19.09.2016** अपराह्नं 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।

आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या ....दिनांक ....प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल, जयपुर के पक्ष में देय भौतिक रूप (Physically) से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है **अथवा** पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान **(प्रपत्र–'य')** द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या– 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई–निविदा के समय **19.09.2016** अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाईट www.rmsc.nic.in पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए **RISL प्रोसेसिंग फीस** जमा करवाते हुए ई–निविदा के समय **19.09.2016** अपराह्नं 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।

4. कार्यों का विवरण

<u>निगम मुख्यालय, जयपुर</u>

1. कार्यालय की फाईले एवं दस्तावेजों को एक शाखा/स्थान से दूसरी शाखा स्थान पर स्थानीय स्तर पर सुरक्षित रूप से पहुँचाना।
2. सेवा राजपत्रित अवकाशों के अलावा प्रत्येक दिवस सुनिश्चित करनी होगी। राजपत्रित अवकाश के दिन भी आवश्यकतानुसार सेवा प्रदात्ता से वांछित कार्य करवाया जा सकता है।
3. गुणवत्ता शाखा के लिए विभिन्न जिला औषधि भण्डार गृहों से जो औषधियाँ/सर्जिकल्स/सूचर्स/अन्य सामग्री इत्यादि मुख्यालय जयपुर को समय–समय पर गुणवत्ता जाँच हेतु आते है। इन्हें सुव्यवस्थित रूप से लोडिंग/अनलोडिंग करना।
4. जिस शाखा में उनकी सेवाएँ ली जा रही है। उनके अधिकारियों/ कर्मचारियों के निर्देशानुसार विभिन्न कार्य सम्पादित करना।

<u>जिला औषधि भण्डार गृह (DDWs) एवं मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (MCDW) परः–</u>

1. भण्डार गृह का पूर्ण रख–रखाव।
2. औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स/अन्य सामग्री को प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह (DDW/ MCDW) के निर्देशों के अनुरूप सुव्यवस्थित करना।
3. औषधियों को प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह (DDW/ MCDW) के निर्देशों के अनुरूप आवश्यकता होने पर लौडिंग/अनलौडिंग का कार्य करना।
4. सामान्यत: सेवा, राजपत्रित अवकाशों के अलावा प्रत्येक दिवस सुनिश्चित करनी होगी। राजपत्रित अवकाश में भी आवश्यकतानुसार सेवा प्रदाता से वांछित कार्य करवाया जा सकता है।

2. ई–निविदा का खोला जाना

दिनांक **19.09.2016** को सांयः 3 बजे तक प्राप्त/Upload ई–निविदा प्रपत्रों को दिनांक **19.09.2016** सांयः 5 बजे उपस्थिति ई–निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

3. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को (Performance Security) जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे–आर्डर प्रबंध निदेशक, आरएमएससी के नाम जो जयपुर में भुगतांन योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति (bid Security) के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।

4. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए पैकर्स सेवा ईकाई की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। **सफल निविदादाता को प्रत्येक जिले/संभाग स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।**

8. ई–निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर को होगें। साथ ही स्वीकृत न्यूनतम दर पर एक या एक से अधिक ई–निविदादाताओं को कार्य विभाजन का भी अधिकार होगा। यह अनिवार्य नही की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाएँ। एक बार ई–निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नही होगा। अपूर्ण ई–निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएगें। ई–निविदा में प्राप्त दरें बातचीत (Negotiation)/बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार निगम को होगें जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होगें।

9. अनुमानित राशि का आंकलन

उपर्युक्त बिन्दु संख्या–1 में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि ₹ 190.00 लाख है। निगम द्वारा आयकर स्त्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

10. निविदा अनुबंध की अवधि

अनुबंध की अवधि 18 माह (01.10.2016 से 31.03.2018) के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से 03 माह बढाई जा सकती है।

11. अनुबन्ध

सफल निविदादाता को निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि ₹ 5,000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनो पक्षो को उक्त अनुबंध की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लघंन करता है तो अनुबंध किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा। तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्त्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् जिला औषधि भण्डार गृह की संख्या में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी होती है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएँ बढाई/घटाई जा सकती है।

12. भुगतान की शर्तें

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को प्रतिमाह संबंधित जिला औषधि भण्डार गृह के प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल निगम मुख्यालय पर प्रस्तुत करने होगें जिसके आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। **उक्त सेवाओं के बदले निगम द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT द्वारा किया जाएगा।**

13. भुगतान की जिम्मेदारी

निगम, निविदादाता (सेवा प्रदात्ता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर सेवा प्रदात्ता फर्म को भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। पैकर्स सेवा के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

14. मध्यस्थ

निविदा की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में निगम का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

15. कार्यादेश का निरस्तीकरण

निगम को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होगें लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

16. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती है। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती निगम द्वारा की जाएगी।

17. ई–निविदा की अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–II के नियम 68 ई–निविदा के लिए ई–निविदा एवं संविदा की शर्ते एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

18. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म ई–निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी ई–निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पांदन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

19. पैकर्स/सहायक को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने तथा उनके ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान को संबंधित विभागों में जमा कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी।

20. पैकर्स/सहायक के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होने एवं उनके यू.ए.एन./यूनिक आईडी नम्बर प्राप्त करने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा तथा पैकर्स/सहायक के यू.ए.एन./यूनिक आईडी नम्बर की सूची निगम को उपलब्ध करवानी होगी।

21. पैकर्स/सहायक की ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान की राशि संबंधित विभागों में जमा कराने की मासिक सूचना अगले माह के बिल के साथ निगम को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा।

22. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है; ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

23. **सत्यनिष्ठा संहिता** – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

24. **हित का विरोध** –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों

जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार कीं प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने

में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

25. **उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण** – प्रथम अपील प्राधिकारी विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

1 **अपीलः**– (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिनक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्द की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र–'र')** में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने

वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. **अपील का प्ररूप** – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप **(प्रपत्र –'र')** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

   (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

   (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. **अपील फाइल करने के लिए फीस** – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

3. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

26. वित्त (G&T) विभाग का परिपत्र संख्या 3/2013 के Annexure- A,B,C & D घोषणा हेतु संलग्न है।

27. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

कार्यकारी निदेशक (गु0नि0)

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लि.

फर्म का नाम व पता :–

....

....

वित्तीय निविदा

प्रपत्र "ब"

निगम मुख्यालय जयपुर एव विभिन्न जिलों में स्थित DDWएंव MCDW पर जॉब आधारित पैकर्स सेवा हेतु निविदा प्रस्ताव	प्रस्तावित राशि प्रति इकाई प्रतिमाह (₹)	ई.पी.एफ. राशि (कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान)(₹)	ई.एस.आई. राशि (कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान)(₹)	'कर' यदि कोई देय हो प्रतिशत एवं राशि (₹)	कुल योग (₹)
01	02	03	04	05	(2 + 5)

नोट :– निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा अन्यथा निविदा मान्य नही होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

प्रपत्र —'स'

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स .... का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाणं पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि ₹ लाखों में)
1.	2013–14	
2.	2014–15	
3.	2015–16	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक :

अंकेक्षक / सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

प्रपत्र –'द'

ई–निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य/ सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्तित सेवा इकाईयों के सतोंष प्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में **Defaulter** का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर

CAUTION : USE "FCMBR" MENU OPTION IN FINACLE INSTEAD OF "IM"

Bank Copy

punjab national bank

DIST. NO.

Branch

Institute Name: Rajasthan Medical Services Corporation, Jaipur

Institute ID: RMSCJ - A/c No. 2246002100024414

Date of Deposit: DD MM YY

DETAILS OF THE SUPPLIER

Supplier Name

Tender Ref. No.

Type of Deposit: Select any one out of - Tender Fees/EMD/SD/Tender Processing fees/Others

Mobile No.

Cash Deposit:

Denomination	₹	Ps
1000 *		
500 *		
100 *		
50 *		
20 *		
10 *		
5 *		
Coins *		
Total		

Cheque Deposit:

Chq No	Date of Chq	Name of Bank	₹	Ps

Total fee payable ₹

Commission ₹ 0 0 0 0 0 . 0 0

Total amount ₹

Amount (in words): ₹

Name of the Depositor

Signature

Address for communication

For Bank use only

Acknowledgement

Cashier/Officer

प्रपत्र 'य'

Customer Copy

punjab national bank

DIST. NO.

Branch

Institute Name: Rajasthan Medical Services Corporation, Jaipur

Institute ID: RMSCJ - A/c No. 2246002100024414

Date of Deposit: DD MM YY

DETAILS OF THE SUPPLIER

Supplier Name

Tender Ref. No.

Type of Deposit: Select any one out of - Tender Fees/EMD/SD/ Tender Processing fees/Others

Mobile No.

Cash Deposit:

Denomination	₹	Ps
1000 *		
500 *		
100 *		
50 *		
20 *		
10 *		
5 *		
Coins *		
Total		

Cheque Deposit:

Chq No	Date of Chq	Name of Bank	₹	Ps

Total fee payable ₹

Commission ₹ 0 0 0 0 0 . 0 0

Total amount ₹

Amount (in words): ₹

Name of the Depositor

Signature

Address for communication

For Bank use only

Acknowledgement

Cashier/Officer

प्रपत्र 'र'

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.............of....................

Before the.................................. (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official Address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

....

....

.... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

....

....

Place .... Date

....

Appellant's Signature

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc I

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Docl

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

21

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.